

कार्यालय आदर्श विद्यालय इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, टाटीबंध (सीबीएसईबोर्ड)
सेक्टर -1, उदयानगर टाटीबंध, रायपुर (छ.ग.)
(गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय)

प्रति
कलेक्टर महोदय
कार्यालय कलेक्ट्रेट
रायपुर (छ.ग.)

दिनांक: 05.01.2021

संदर्भ :- छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक 2020 ।
विषय :- विधेयक की धारा 3 के अनुसार संस्थान की फीस समिति के गठन केबाबत।

माननीय महोदय,

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अशासकीय विद्यालयों की फीस का निर्धारण करने हेतु छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक २०२० पारित किया गया है जो दिनांक २६.०८.२०२० से प्रभावशील हो चुका है । इस विधेयक के अनुसार विद्यालय फीस समिति धारा ३ के अंतर्गत गठन हेतु हमारे विद्यालय से आपको निम्नलिखित जानकारी प्रेषित करते हैं।

धारा 3 -

- क) विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रमुख - श्री के.ऐ.शशिधरन
घ) हमारे विद्यालय से प्राचार्य द्वारा नामांकित अभिभावक (प्रत्येक वर्ग से), सदस्य
प्राथमिक वर्ग - श्री प्रणीत आचार्य f/o सात्विक आचार्य (कक्षा ४), सदस्य
पूर्व प्राथमिक वर्ग - माँ. युसूफ खान f/o नौशीन फातिमा (कक्षा ८), सदस्य
उच्च माध्यमिक वर्ग - श्री अरविन्द कुमार साहू f/o अखिलेश साहू(कक्षा १०), सदस्य
उच्चतर माध्यमिक - श्री आर.रमेश कुमार f/o आर. रिशिता-(कक्षा ११), सदस्य
ड) विद्यालय का प्राचार्य - श्री आमिर बी सुल्तान
उपरोक्त के अतिरिक्त माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा समिति के गठन हेतु धरा 3(ख) 3(ग) के अनुसार सदस्य नामांकित करना है।

धारा 3 (ख) कलेक्टर द्वारा नामांकित नोडल अधिकारी श्रीमती शोभना सिंह, सदस्य

धारा 3 (ग) कलेक्टर द्वारा नामांकित अभिभावक (प्रत्येक वर्ग से एक)

- प्राथमिक वर्ग - श्री रुपेश मदनकर f/o भूमि मदनकर (कक्षा २), सदस्य
पूर्व प्राथमिक वर्ग - श्री सुप्रियो गुप्ता f/o अक्षिका गुप्ता (कक्षा ७), सदस्य
उच्च माध्यमिक वर्ग - श्रीलक्ष्मण विश्वकर्मा f/o डेनिस विश्वकर्मा (कक्षा ९), सदस्य
उच्चतर माध्यमिक - श्री राजेंद्र कुमार f/o आयुषी पांडा (कक्षा १२), सदस्य

कृपया विद्यालय फीस के गठन के लिए विधेयक की धारा के मुताबिक उपरोक्त सदस्यों की नियुक्ति करने की कृपा करें, इस हेतु पलकों की सूचि संलग्न है।